13-11-02 16:20 FROM: TO:9553384/1837 PAGE

संख्या— 729 ई—2/तेरह—2002

प्रेषक,

मनोज मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग—2 लखनऊ::दिनांक:: 14 मार्च, 2002

विषयः—वर्ष 2002—03 के लिये आबकारी नीति के निर्धारण के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्ध शासकीय पत्रांक.जी—299/दस—लाइसेंस—367/आ0नीति0 2—03 दिनांक 28 फरवरी, 2002 का संदर्भ लें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2002—03 के लिये आबकारी नीति निर्धारण हेतु आपके प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:—

(1) वित्तीय वर्ष 2002—03 के लिये आबकारी की दुकानों (देशी/विदेशी शराब व बियर) का व्यवस्थापन वर्तमान नीति के अन्तर्गत सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाये। सार्वजनिक लाटरी दिनांक 26 मार्च, 2002 को निकाली जाय। यदि किन्ही कारणों से किसी जनपद में दिनांक 26 मार्च, 2002 को समस्त दुकानों की लाटरी न निकाली जा सके तो उस जनपद में अवशेष दुकानों की लाटरी दिनांक 27 मार्च, 2002 को निकाली जाय। दुकानों के लाइसेंस हेतु प्रार्थना पत्र आबकारी विभाग द्वारा मुद्रित आवेदन पत्रों पर ही प्राप्त किये जायें तथा आवेदन पत्र एवं प्रोसेसिंग फीस के रूप में 200 रूपये का शुल्क चार्ज किया जाय। आवेदन पत्रों के साथ धरोहर धनराशि के रूप में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस (देशी शराब) का 10 प्रतिशत अथवा 5,000/— रूपये जो भी अधिक हो, लिया जाय।

(2) यदि किन्हीं कारणों से देशी/विदेशी मदिरा तथा बीयर की किसी दुकान के अनुज्ञापन का निलम्बन, निरस्तीकरण या अभ्यर्पण किया जाता है अथवा दुकान का नियमित रूप से व्यवस्थापन नहीं हो पाता है, तो उक्त दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन, जब तक कि उसका नियमित व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन नहीं हो जाता है, तब तक एक बार में अधिकतम 14 दिनों के लिये प्रतिदिन के हिसाब से उस दुकान के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस का 1/1000 भाग लेकर किया जाएगा। अन्तरिम

व्यवस्थापन के दौरान ली गई दैनिक अनुज्ञापन फीस की राशि दुकान के नियमित व्यवस्थापन के समय ली जाने वाली अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) देशी /विदेशी एवं बीयर की फुटकर दुकानों के लिये प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के समतुल्य धनराशि होगी, जो ब्याजमुक्त प्रतिभूति के रूप में राजकीय कोषागार में नकद जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों एवं देयों के व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी।

(4) असेवित क्षेत्रों में देशी मदिरा की अधिकतम 250, विदेशी मदिरा की 50 एवं बियर की 100 नई दुकानें आवश्यकतानुसार खोली जायं।

(5) देशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिये गत वर्ष निर्धारित की गई न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सभी श्रेणियों को समाप्त करते हुए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा 600 बल्क लीटर के गुणांक में क्रमिक रूप से निर्धारित की जाय तथा सबसे छोटी दुकान की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा 2400 बल्क लीटर निर्धारित की जाय।

(6) देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस एवं न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर अभिकर को दुकान के लाइसेंस के एकान्तिक विशेषाधिकार के प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया जायेगा तदनुसार प्रतिफल उसकी बेसिक लाइसेंस फीस (वर्तमान में ली जाने वाली लाइसेंस फीस) व उस दुकान की लाइसेंस फीस (जो उस दुकान की वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय धनराशि के समतुल्य होगी) के योग के रूप में परिभाषित किया जाय तथा इस प्रतिफल की धनराशि में से बेसिक लाइसेंस फीस की धनराशि दुकान के व्यवस्थापन के समय अग्रिम रूप से जमा कराई जाय व प्रतिफल की शेष धनराशि का भुगतान लाइसेंस फीस की 12 समान मासिक किश्तों में प्राप्त किया जायेगा। देशी शराब के फुटकर दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस उस दुकान के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर 10/- रू0 प्रति बल्क लीटर की दर से निर्धारित की जायेगी।

(7) देशी शराब (मसाला) की तीव्रता 36 प्रतिशत वी/वी से बढ़ाकर 42.8 प्रतिशत वी/वी (strong) की जायेगी तथा देशी शराब (सादा) की तीव्रता 25 प्रतिशत वी/वी (mild) यथावत रखी जाय। पूरे प्रदेश के लिये देशी शराब की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा 42.8 वी/वी प्रतिशत की तीव्रता में 18.50 करोड़ बल्क लीटर निर्धारित की जाय। विभाग द्वारा अपनी कार्यकुशलता एवं चुस्ती से देशी शराब की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के सापेक्ष उपभोग में मूलभूत (substantial) वृद्धि सुनिश्चित की जायेगी।

(8) देशी शराब (strong) 42.8 प्रतिशत वी/वी पर रू0 82.00 प्रति बल्क लीटर तथा देशी शराब (mild) 25 प्रतिशत वी/वी पर रू0 48 प्रति बल्क लीटर की दर से लाइसेंस फीस ली जाय।

(9) देशी शराब की फुटकर दुकान के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को 12 समान मासिक किश्तों में विभाजित कर उठान कराई जाय तथा 120 प्रतिशत तक अतिरिक्त उठान की गई देशी मदिरा की लाइसेंस फीस का क्रेडिट बैलेंस यथावश्यकता आगे के माहों में दिया जाय। 120 प्रतिशत से अधिक देशी मदिरा उठाने

पर अनुज्ञापी से 10.00 रूपया प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त लाइसेंस फीस ली जाय।

(10) देशी शराब के विभिन्न धारिता की बोतलों को अधिकतम थोक /फुटकर विक्रय मूल्य का निर्धारण संलग्नक–1 के अनुसार किया जाय।

(11) विदेशी शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस विदेशी मदिरा के उपभोग एवं प्रास्थिति के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित की जाय:–

क्रमांक	श्रेणी	अनुमानित वार्षिक बिक्री (750 एम.एल. की बोतलों में)	लाइसेंस फीस (रूपये में)
1.	1	2500 तक	25,000.00
2.	2	2501 से 5000 तक	50,000.00
3.	3	5001 से 10000 तक	1,00,000.00
4.	4	10001 से 15000 तक	2,00,000.00
5.	5	15001 से 25000 तक	3,00,000.00
6.	6	25001 से 40000 तक	5,00,000.00
7.	7	40001 से 80000 तक	8,00,000.00
8.	8	80001 से 120000 तक	12,00,000.00
9.	9	120001 से अधिक	15,00,000.00

साथ ही प्रतिबन्ध यह भी रहेगा कि दुकानों की अनुमानित वार्षिक बिक्री के आधार पर नगर निगम क्षेत्रों में लाइसेंस फीस रूपये 3,00,000.00 या उससे अधिक, नगर पालिका क्षेत्रों में रूपये 1,00,000.00 या उससे अधिक, नगर पंचायत क्षेत्रों में रूपये 50,000.00 या उससे अधिक व ग्रामीण क्षेत्रों में रूपये 25,000.00 या उससे अधिक रहेगी। यह भी प्रतिबन्ध रहेगा कि किसी नगरीय निकाय की सीमा से तीन किलोमीटर की दूरी के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें नहीं खोली जायेंगी।

(12) विदेशी शराब की वर्तमान श्रेणियों को समाप्त कर उसकी श्रेणियां एवं उन पर अभिकर की संशोधित दरों को समानुपातिक आधार पर तथा विदेशी मदिरा का अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य व अधिकतम थोक विक्रय मूल्य संलग्नक–2 के अनुसार पुनर्निर्धारित किया जाय।

(13) विदेशी मदिरा के व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी श्रेणियों की विदेशी मदिरा के आयात हेतु बाण्ड की सुविधा अनुमन्य की जाये तथा बाण्ड की लाइसेंस फीस व आयात शुल्क निम्न प्रकार निर्धारित किया जाय:–

- अन्य प्रान्तों की आसवनियों हेतु विदेशी मदिरा के बाण्ड लाइसेंस (बी0डब्ल्यू0एफ0एल0 2) की लाइसेंस फीस 5,00,000 रू0 प्रति वर्ष निर्धारित की जाय।
- अन्य प्रान्तों से आयातित विदेशी मदिरा का आयात शुल्क 2/– रूपये प्रति बोतल (750 एम0एल0) निर्धारित किया जाय।

- अन्य प्रान्तों की आसवनियों द्वारा प्रदेश में ही एफ0एल0–3ए लाइसेंस लेकर मदिरा की भराई करने की स्थिति में उनके लिये वाण्ड (बी0डब्ल्यू0एफ0एल0 2) की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाय व मदिरा की निकासी हेतु एफ0एल0 1 लाइसेंस के समतुल्य उतनी ही लाइसेंस फीस (रू0 2,50,000 प्रति वर्ष) का एफ0एल0–1 ए लाइसेंस सृजित कर दिया जाय।

(13) बियर की दुकानों की लाइसेंस फीस भी उपभोग पर आधारित करके लाइसेंस फीस निम्न प्रकार निर्धारित की जायः–

क्रमांक	श्रेणी	अनुमानित वार्षिक बिक्री (650 एम.एल. की बोतलों में)	लाइसेंस फीस (रूपये में)
1.	1	12500 तक	25,000.00
2.	2	12501 से 25000 तक	50,000.00
3.	3	25001 से 50000 तक	1,00,000.00
4.	4	50000 से अधिक	1,50,000.00

परन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि 25,000.00 रूपये लाइसेंस फीस की दुकानें केवल ग्रामीण क्षेत्रों व नगर पंचायतों में तथा 50,000.00 रूपये लाइसेंस फीस की दुकानें केवल ग्रामीण क्षेत्रों, नगर पंचायतों व नगर पालिकाओं में ही खोली जा सकेंगी। इस प्रकार नगर निगमों में खोली जाने वाली दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस 1.00 लाख रूपये रहेगी।

(14) बियर पर अभिकर की दरें पुनर्निर्धारित करते हुये 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता वाली बियर पर 15 रूपये प्रति बोतल (650 एम.एल.) तथा 5 प्रतिशत से अधिक व 8 प्रतिशत तक वी/वी की तीव्रता वाली स्ट्रांग बियर पर 27 रू0 प्रति बोतल (650 एम.एल.) निर्धारित की जाय तथा बियर की बोतलों/कैनों आदि पर भी अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का मुद्रण अनिवार्य किया जाय।

(15) वाइन के वाण्ड व फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस व अभिकर की दरों को निम्न प्रकार निर्धारित किया जायः–

- वाइन के बाण्ड (बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2सी) की लाइसेंस फीस 50,000 रूपये प्रति वर्ष निर्धारित की जाय।
- वाइन की फुटकर बिक्री के लाइसेंस (एफ0एल0–5सी) की दर 5,000 रूपये प्रति वर्ष निर्धारित की जाय।
- वाइन पर अभिकर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत या न्यूनतम 50 रूपये प्रति बोतल (750 एम.एल.), जो भी अधिक हो, रखा जाय।

- विदेशी मदिरा की भांति वाइन का आयात शुल्क भी 2 रूपये प्रति बोतल (750 एम.एल.) निर्धारित किया जाय।
- वाइन की फुटकर बिक्री हेतु विदेशी मदिरा व बियर की दुकानों को भी लाइसेंस दिये जाने की अनुमति दी जाय।

(17) भांग की दुकानों का व्यवस्थापन पूर्व की भांति नीलाम के आधार पर ही किया जाय। आगरा व झांसी प्रभार में भांग का लागत मूल्य रू0 9/– प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 11/– रू0 प्रति किलोग्राम तथा वर्तमान वर्ष 2001–02 की भांति इलाहाबाद तथा चित्रकूट धाम प्रभार के लिये रू0 9/– प्रति किलोग्राम व शेष प्रभारों के जनपदों के लिये रू0 8/– प्रति किलोग्राम निर्धारित किया जाय।

3. कृपया, शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णयों के सम्बन्ध में अपने स्तर से वांछित कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित् करायें तथा उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आबकारी अधिनियमों/ नियमों/कार्यकारी आदेशों में जो भी संशोधन शासन स्तर से किया जाना हो, तत्सम्बन्धी आलेख हिन्दी एवं अंग्रेजी में तैयार कराकर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4 आगामी वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिये आबकारी राजस्व की प्राप्ति हेतु रू0 2696.33 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी पूर्ति सुनिश्चित की जाये।

<u>संलग्नक:–यथोक्त।</u>

भवदीय,

(मनोज मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक-1

देशी शराब के अधिकतम थोक एवं फुटकर विक्रय मूल्य

	तीव्रता (वी./वी. में)		धारिता (मि.ली. में)						
			750	375	180	140	240	525	1100
तनु देशी शराब	25.0 प्रतिशत	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य (रूपये में)	47.50	25.40	13.10	10.55	16.65	34.10	67.00
		अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (रूपये में)	60.00	32.00	16.00	12.25	20.00	41.00	82.00
तीव्र देशी शराब	42.8 प्रतिशत	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य (रूपये में)	76.00	39.75	20.00	15.90	25.90	54.25	109.00
		अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (रूपये में)	96.00	50.00	25.00	19.00	32.00	66.00	132.00

विदेशी मदिरा की प्रस्तावित श्रेणियाँ, अभिकर व अधिकतम थोक व फुटकर मूल्य

वर्तमान व्यवस्था

क्रमांक	श्रेणी	एक्स आसवनी मूल्य प्रति बोतल (रू. में) (X)	अभिकर प्रति लीटर (रू. में)	अभिकर प्रति बोतल (750 एम.एल.) (रू. में)	अधिकतम फुटकर मूल्य (P)
1	साधारण	12.00 तक	93.33	70.00	D+2.0X
2	सस्ती	12.00 से अधिक 20.00 तक	108.00	81.00	D+2.0X
3	मीडियम	20.00 से अधिक 35.00 तक	140.00	105.00	D+2.0X
4	रेगुलर	35.00 से अधिक 55.00 तक	160.00	120.00	D+1.9X
5	सेमी प्रीमियम	55.00 से अधिक 75.00 तक	200.00	150.00	D+1.8X
6	प्रीमियम	75.00 से अधिक 150.00 तक	240.00	180.00	D+1.6X
7	सुपर प्रीमियम	150.00 से अधिक 250.00 तक	320.00	240.00	D+1.4X
8	स्काच	250.00 से अधिक	400.00	300.00	D+1.3X

प्रस्तावित व्यवस्था

क्रमांक	श्रेणी	एक्स आसवनी मूल्य प्रति बोतल (रू. में) (X)	अभिकर प्रति लीटर (रू. में)	अभिकर प्रति बोतल (750 एम.एल.) (रू. में) (D)	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	फुटकर विक्रेता का न्यूनतम मार्जिन	अधिकतम फुटकर मूल्य (P)
1	सस्ती	20.00 तक	112.00	84.00	D+1.1X	1.1X	D+2.2X
2	निडियम बीटा	20.00 से अधिक 25.00 तक	128.00	96.00	D+1.1X	1.1X	D+2.2X
3	मीडियम अल्फा	25.00 से अधिक 35.00 तक	148.00	111.00	D+1.05X	1.05X	D+2.1X
4	रेगुलर बीटा	35.00 से अधिक 45.00 तक	160.00	120.00	D+1.05X	0.95X	D+2.0X
5	रेगुलर अल्फा	45.00 से अधिक 55.00 तक	172.00	129.00	D+1.05X	0.85X	D+1.9X
6	सेनी प्रीमियम	55.00 से अधिक 75.00 तक	216.00	162.00	D+1.05X	0.75X	D+1.8X
7	प्रीमियम बीटा	75.00 से अधिक 105.00 तक	232.00	174.00	D+1.05X	0.65X	D+1.7X
8	प्रीमियम अल्फा	105.00 से अधिक 150.00 तक	256.00	192.00	D+1.05X	0.55X	D+1.6X
9	सुपर प्रीमियम	150.00 से अधिक 250.00 तक	340.00	255.00	D+1.05X	0.35X	D+1.4X
10	स्काच	250.00 से अधिक	420.00	315.00	D+1.05X	0.25X	D+1.3X